न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 06/2021

वीरेन्द्र कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुलतान सिंह (विक्रेता) मैसर्स :– सर्वोदय फूड्स एण्ड ब्रेवरेज इण्ड्रस्टीज 1/5 बी, जाटावाली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
   निवासी–वार्ड नं0 2, ढाणी तिलक वाली, रिंगस, श्री माधोपुर, सीकर।
2. गोरधन निठारवाल पुत्र श्री सुलतान सिंह निठारवाल (मालिक) मैसर्स :– सर्वोदय फूड्स एण्ड ब्रेवरेज इण्ड्रस्टीज 1/5 बी, जाटावाली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
   निवासी–वार्ड नं0 2, ढाणी तिलक वाली, रिंगस, श्री माधोपुर, सीकर

अभियुक्तगण,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii)/52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011)

उपस्थितिः–
1. पेरोकार सरकार उपस्थित।
2. अभियुक्त बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 27.04.2022

यह परिवाद वीरेन्द्र कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 01.07.2021 को मैसर्स सर्वोदय फूड्स एण्ड ब्रेवरेज इण्ड्रस्टीज 1/5 बी, जाटावाली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर के विक्रेता एवं प्लान्ट इनचार्ज अभियुक्त जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुलतान सिंह की उपस्थिति में संस्थान में निरीक्षण करने पर 250–250 एमएल की कार्बोनेट बेवरेज (सर्वो विलसेरी) 24–24 बोतल के 150 केस रखे हुए थे। इनमें गुणवत्ता एवं लेबलिंग में कमी होने का अंदेशा होने पर इसमें से 12 लीटर कुल (48 नग) कार्बोनेट बेवरेज (सर्वो विलसेरी) वास्ते नमूना जांच संख्या अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर जोन, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ई–5049 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 12 लीटर कुल (48 नग) कार्बोनेट बेवरेज (सर्वो बिलसेरी) की कीमत अंके रूपये 200/– (अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) मौके पर उपस्थित विक्रेता एवं प्लान्ट इनचार्ज श्री जितेन्द्र सिंह से केश मीमो/रसीद प्राप्त की जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 12 लीटर कुल (48 नग) कार्बोनेट बेवरेज (सर्वो विलसेरी) की खाद्य विश्लेषक से जांच कराये जाने पर उत्पाद मिसब्राण्ड होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा अमानक कार्बोनेट बेवरेज (सर्वो बिलसेरी) को विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। अतः धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्त को दिनांक 09.03.2022 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे। रजिस्ट्री कराने के एक माह पश्चात् भी मूल रजिस्ट्री वापस नही आने पर

अभियुक्त की तामिल मानी गई। बावजूद सूचना अभियुक्तगण अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार को सुना गया। पेरोकार सरकार ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक,(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार उन्हे कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम क्षेत्र आवंटित किया गया है। जिसके अन्तर्गत आने वाला समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में आता है। तहसील चौमू भी उनके कार्यक्षेत्र में होने के कारण उनके द्वारा उक्त फर्म के यहां नमूना लिया गया है। आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आवंटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 01.07.2021 को अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु रखे गये 250–250 एमएल कार्बोनेट बेवरेज (सर्वो बिलसेरी) की 24–24 बोतल के 150 केस रखे होना पाया गया जिनका निरीक्षण किया गया। मौके पर मिले कारोबारकर्ता जितेन्द्र सिंह के पास उपलब्ध कार्बोनेट बेवरेज (सर्वो बिलसेरी) का भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर इनमें गुणवत्ता एवं लेबलिंग में कमी होने का शक होने पर नमूना जांच हेतु 12 लीटर कुल (48 नग) कार्बोनेट बेवरेज (सर्वो बिलसेरी) की कीमत अंके रूपये 200/–(अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) कारोबारकर्ता श्री जितेन्द्र सिंह को देकर क्रय किया गया और केश मीमो–रसीद कारोबारकर्ता जितेन्द्र सिंह से गवाहान के सामने प्राप्त कर मौके पर नमूना जांच नम्बर ई–5049 दर्ज किया गया और मौके पर प्ररूप 5ए तैयार कर एक प्रति अभियुक्त को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के अंकित है। इस प्राप्ति रसीद पर कारोबारकर्ता जितेन्द्र सिंह के साथ ही 2 गवाहान के हस्ताक्षर है। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है मौके पर ही अभियुक्त एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है। आवेदक ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./746/एक्ट/2021/785 दिनांक 15.07.2021 प्ररूप बी में नमूना कोड नम्बर और सीरियल नम्बर ई–5049 को मिसब्राण्ड होना पाया है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि अभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुलतान सिंह (विक्रेता) एवं गोरधन निठारवाल पुत्र श्री सुलतान सिंह निठारवाल (मालिक) मैसर्स सर्वोदय फूड्स एण्ड ब्रेवरेज इण्ड्रस्टीज 1/5 वी, जाटावाली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर द्वारा मिसब्राण्ड कार्बोनेट बेवरेज (सर्वो बिलसेरी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण को दिनांक 09.03.2022 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे। रजिस्ट्री कराने के एक माह पश्चात् भी मूल रजिस्ट्री वापस नही आने पर अभियुक्त की तामिल मानी गई। बावजूद सूचना अभियुक्तगण अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने पेरोकार सरकार की एक–पक्षीय बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो फार्म बी अपनी रिपार्ट प्रस्तुत की गई है उसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्बोनेट बेवरेज (सर्वो बिलसेरी) लिये गये नमूनें में मानक स्टैण्र्ड Not Exceeding 100ppm के स्थान पर Positive (34.58ppm) Not declare on the label होना पाया गया है जो मानक स्टैण्र्ड से बहुत कम है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक

अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II)/52 एफएसएस एवं नियम 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण को शास्ति से दण्डित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक ए एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 की प्रति ।
2. चौमू क्षेत्र आवेदक को आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति।
3. आवेदक द्वारा दिनांक 01.07.2021 को नमूने के लिऐ क्रय किये 12 लीटर कुल (48 नग) कार्बोनेट बेवरेज (सर्वो बिलसेरी) के समर्थन में कारोबारकर्ता द्वारा दिनांक 01.07.2021 को दिये गऐ केश–मीमो की प्रति जिस पर स्वयं कारोबारकर्ता जितेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना कारोबारकर्ता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर कारोबारकर्ता जितेन्द्र सिंह के है ।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता जितेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है।
7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना मिसब्राण्ड होना अंकित है।

खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्रारूप बी अभियुक्त को अभिहित अधिकारी द्वारा भेजी गई है। अभियुक्त ने नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि में चुनौती भी नही दी गई है। ऐसी स्थिति में विलम्ब के संबंध में इस स्तर पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नही है। खाद्य विश्लेषक की रिर्पोट प्ररूप–बी दिनांक 15.07.2021 पर संदेह किये जाने का कोई आधार नही है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड कार्बोनेट बेवरेज (सर्वो बिलसेरी) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अभियुक्तगण के कृत्य के लिये राशि रूपये 30,000 (अक्षरे रूपये तीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.04.2022 को सुनाया गया।

(शंकर लाल सैनी)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर